

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) (राजनीति विज्ञान) के रूप में नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/ संस्था में कार्यरत है, को अधिवाषिता की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

क्र० सं०	नाम प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मंगलाराम, ठण्डी, गंगानगर	10.11.1957	30.11.17
2	नेमीचन्द पाराशर, सिहोट बडी, सीकर	19.12.1957	31.12.17
3	पुसाराम, नगवाडा-कुचामन, नागौर	08.01.1958	31.01.18
4	आजाद सिंह सांगवान, रैया टुंडा-तारानगर, चूरु	17.11.1957	30.11.17

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित प्राध्यापकों के विरुद्ध आज तक -

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

नोट-वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

दिनांक ४ / ११ / २०१७

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/सेवानिवृत्ति/रावि/31820/17-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान
- 2 संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
- 3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा.....
- 4 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा, विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।
- 5 संबंधित संस्था प्रधान
- 6 संबंधित कार्मिक
- 7 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर